निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1948 (श0)

(सं0 पटना 1163) पटना, सोमवार, 28 सितम्बर 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर 2026

एस० ओ० 221, दिनांक 28 सितम्बर 2026— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 34 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता की के प्रयोजनार्थ धारा 35 के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु उन कारखानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं सभी कारखाना निरीक्षक को निरीक्षक–सह–सुकारक नियुक्त करते हैं।

2. सभी निरीक्षक–सह–सुकारक अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026–222 / श्र०सं०)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर 2026

एस० ओ० 222, एस० ओ० 221 दिनांक 28 सितम्बर 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026–223/श्र०सं०)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

Labour Resource and Migrant Labour Welfare Department

Notification

28th September 2026

S. O. 221 dated 28th September 2026—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 34 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), , for the purposes of the Code, for exercising the powers conferred upon them under Section 35, in respect of those factories for which the State Government is the appropriate Government, the Governor of Bihar is pleased to appoint all Deputy Chief Inspectors of Factories and all Inspectors of Factories as Inspector-cum-Facilitator.

2. All Inspectors-cum-Facilitators shall exercise their powers within the local limits of their jurisdiction in accordance with the provisions of the Code.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette

(No. 01/OSHC-03/2026-222/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1163—571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in